UPGZ010068582026

<u>न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–10, गाजियाबाद।</u>

उपस्थित – कु० रश्मि रानी (उच्चतर न्यायिक सेवा)
(J.O. CODE No. UP2728)
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 1062/2026
कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन नं० 3120/2026
CNR No. UPGZ010068582026

अजय कुमार उर्फ टीपू पुत्र श्री डोरी लाल निवासी ए 79 राधा कृष्णा लेन कौशाम्बी आई ई साहिबाबाद गाजियाबाद।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार

मु०अ०सं० 41/2026
धारा 420, 506 भा०द०सं०
व धारा 66D आई टी एक्ट
थाना लोनी बॉर्डर, गाजियाबाद।

<u>दिनांक 23.06.2026</u>

1– प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त **अजय कुमार उर्फ टीपू** की ओर से मु०अ०सं० 41/2026 धारा 420, 506 भा०द०सं० व धारा 66D आई टी एक्ट थाना लोनी बॉर्डर जिला गाजियाबाद के मामले में जमानत प्रदान किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2– जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में आवेदक/अभियुक्त के पत्नी/पैरोकार श्रीमती कल्पना का शपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त का न्यायालय के समक्ष यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है इसके अतिरिक्त उसका अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद अथवा किसी अन्य न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

3– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा द्वारा दिनांक 07.02.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करायी कि राकेश कुमार पुत्र राजवीर सिंह एवं शाबिर अली पुत्र मौ० यासीन निवासीगण ग्राम टीला शहबाजपुर लोनी गाजियाबाद के निवासी है। वादीगण ने विपक्षीगण अजय कुमार पुत्र नामालूम (मो०नं० 92128XXXXX), विनोद कुमार पुत्र ब्रजपाल (मो०नं० 73009XXXXX) निवासी बिलौचपुरा सिंघावली अहीर जिला बागपत उत्तर प्रदेश, सचिन कुमार पुत्र ब्रजपाल निवासी बिलौंचपुरा सिंघावली अहीर जिला बागपत उत्तर प्रदेश, विनय (मो०नं० 94523XXXXX), गोपाल के साथ मिलकर हमें दिसम्बर 2021 को होटल कन्ट्रीइन साहिबाबाद गाजियाबाद में बुलाकर अजय कुमार एवं अन्य विपक्षीगण ने ए. एस. टी. कोइन क्रिप्टो करंसी के बारे में हमें बताया कि मैंने व मेरे मित्र ने ए.एस. टी. कोइन क्रिप्टो करंसी के नाम से एक कम्पनी खोली है। सभी विपक्षीगण ने बताया कि हम खुद ही

उसके डायरेक्टर है और कहा कि आप हमारे साथ जुड़िये आपको भी आपके साथ जुड़ने वाले लोगो का भी फायदा होगा तथा 20 महीने में हम आपका पैसा डबल करके देंगे और अजय कुमार द्वारा यह भी बताया गया कि इसका रेट 0.25 सेंट से 0.24 सेंट नहीं होगा यह सिस्टम की एक खासियत है जिसका रेट कभी कम नहीं होगा, सिर्फ बढ़ेगा ही। इस योजना के तहत उपरोक्त सभी विपक्षीगण होटल ऊना हिमाचल में पहुँचे और वादीगण व हमारे अन्य साथियों को बुला लिया और वहाँ हमें और हमारे साथियों को सारा प्लान समझाया फिर हमें विपक्षी अजय ने सारा इन्वेस्टमेंट प्लान भी समझाया, के तहत हमें व हमारे जानने वालो से पैसे हडपने के लिये सभी झूठे आश्वासन दिये जबकि वास्तव में ऐसी कोई कम्पनी अस्तित्व में ही नहीं है और ना ही थी, जो कि 20 महीने में पैसे डबल करके दे सके। विपक्षीगण ने एक योजना के तहत हमें व हमारे साथियों को उपरोक्त ए. एस. टी. कोईन कम्पनी से जोड दिया जो कि जोडने का तरीका यह था कि सबसे पहले हमें कहा गया कि पहले आपको मैं अपने रैफरल लिक के द्वारा कम्पनी ज्वाइन कराता हूँ फिर उसके बाद विपक्षीगण ने हमें अपनी खुद की तैयार की हुई एक वेवसाईट पर रैफरल लिंक करके ज्वाइन करा दिया। जो वेवसाइट गूगल में हमारे मोबाइल में डब्लू डब्लू डब्लू ए. एस. टी. कोईन.बी. आई जैड खोली गयी जिससे हमें विश्वास हो सके, और उसने अपने कोईन का मार्किट रेट 0.25 सैट रखा जिसके बाद हमें व हमारे साथियों को धोखा देने के लिये अपने आप 1.5 डलर तक ले गये, और अपने आप ही कीमत बढ़ाकर हम से व हमारे साथियों से बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नगद करवाकर एक योजना के तहत पैसे हड़पने के लिये षडयंत्र रचकर करवा लिये जिसके अलावा राकेश कुमार व शाबिर अली की टीम से अंकन–1,42,10,000/–रु की इन्वेस्टमेंट एक फर्जी खुद ही तैयार की गयी, वेवसाइट में करवा ली जबकि इस नाम का कोई ऐसा बिजनेस करने वाली व गारंटी देने वाली कोई भी कम्पनी नहीं है और ना ही ऐसा कोई कानून है, फिर विपक्षीगण ने अपने आप ही हमारी इन्वेस्टमेंट को शून्य दिखा दी फिर हम इसके बारे में उससे मिले तो उसने कहा कि यह गलती से हो गया है हम इसको ठीक करवा देंगे। तुम्हारे पैसे डबल ही मिलेंगे। इस प्रकार हमें विपक्षीगण लगातार बरगलाते रहें। फिर हमें व हमारे साथियों को पता लगा कि विपक्षीगण ने हमारे अलावा और भी अन्य व्यक्तियों के साथ भी इन्वेस्टमेंट करवायी गयी है व आस पास के गाँव में बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी की है। जिसके बारे में विनोद व सचिन पर चार मुकदमे मु अ स–317/2023, अं धारा–420,504,506, आई पी सी थाना–सिंघावली जिला बागपत दिनांक 07.12.2023 मु अ स–318/2023 धारा 420,406,506 आई पी सी थाना सिंघावली, बागपत व मु अ सं–319/2023 अं धारा–420,406,506 आई पी सी थाना–सिंघावली, बागपत व मु अ सं–33/2024 थाना–साइबर क्राइम पुलिस थाना आगरा, धारा 66 डी, सूचना प्रो संसोधन अधिनियम 2008 120 बी, 420,419, 406 आई पी सी, चल रहे है, और अजय कुमार पर मु अ सं–33/2024 थाना साइबर क्राइम पुलिस थाना आगरा धारा 66 डी सूचना प्रो संसोधन अधिनियम 2008 व धारा–120 बी 420,419, 406 आई पी सी पंजीकृत है, तथा अभियुक्तगण अजय कुमार, विनय, व विनोद कुमार आगरा जेल मै निरूद्ध है। जब हमने इनसे अपने पैसे मांगे तो हमें जान से मारने की धमकी तथा झूठे केसों में फँसाने की धमकी देने लगे तथा कहने लगे कि हम दुबई से सम्पर्क करके तुमको में ही मरवा देंगे। यह लोग बड़े पैमाने पर सोने की तस्करी करते हैं, यहां से पैसे ले जाकर हवाला के जरिये यू एस. डी. में बदल देते हैं। अब हमें पूर्ण विश्वास हो गया है कि विपक्षीगण ने हमें एक योजना के तहत झूठे–झूठे सपने दिखाकर पैसे हड़पने की नियत से एक नकली झूठी क्रिप्टो

वेवसाईट बनाकर खुद ही अपनी वेवसाइड में एकाउंट आई डी. बनाकर पैसे डलवा लिये। पैसे नकद लेकर खुद फर्जी ऑन लाईन कम्पनी तैयार करके व धोखाधड़ी से पैसे हडप लिये है। अजय कुमार द्वारा हमें यह बताया गया कि जब विनोद कुमार व उसका भाई सचिन जेल में थे तमो उसने बताया कि जब वो बाहर आ जायेंगे तो हम तुम्हारा सारा पैसा वापिस करा देंगे, लेकिन इन लोगो की आपस में बात होती रही और हमें गुमराह करते गये जिसमे कुछ समय बाद केस उपरोक्त से अजय कुमार को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके आगरा जेल में निरुद्ध कर दिया गया। उसके बाद हमें सूचना पीडित लोगो के द्वारा आगरा से मिली। तब जाकर हमने अपनी शिकायत देने का निर्णय किया। अज्ञात सूत्रों से प्रार्थीगण को पता चला है कि विपक्षीगण द्वारा बागपत में कुछ पीडितों को पैसा वापिस कर दिया है। पैसा लेने का तरीका कम्पनी में इस प्रकार था कि विपक्षीगण द्वारा यह बताया गया कि इसके अन्दर आप आई. एन. आर या रूपये में लेन देन नहीं होता, केवल यू. एस. डी. टी के माध्यम से लेन देन होता है, तो आपको हमें नगद पैसा देना होगा तब हम आपके एकाउंट आई. डी. में यू. एस डी. टी दूसफर करेंगे। जिस कम्पनी के विपक्षीगण खुद ही मालिक थे। विपक्षीगण द्वारा पूरे पैसे की गारंटी दी गयी और बोला कि आप जितना मर्जी पैसा लगा लो एक–एक रूपये की गारंटी होगी। पीडितों के नाम जिनका पैसा हड़पा गया है निम्न प्रकार है:– राकेश कुमार व अन्य 15 व्यक्ति 80,00,000/– रुपये, शाबिर व अन्य व्यक्ति 12,00,000/–रुपये कुल अंकन 92,00,000/– रुपये। हरवीर 5,00,000/– रुपये, राहुल 4,50,000/–रुपये, नफीस 3,50,000/– रुपये, फिरोज 1,50,000/– रुपये, खबबन 1,00,000/–रुपये, वसीम 80,000/–रुपये, गोविन्दा 1,20,000/–रुपये, धर्मेन्द्र 80,000/–रुपये, राजीव 50,000/–रुपये, नीतू 50,000/–रुपये, नरेन्द्र 2,50,0000/–रुपये, अमित 1,50,000/–रुपये, कमलेश 50,000/–रुपये रवि (बाबू) 50,000/–रुपये, हरेन्द्र 20,000/–रुपये, शाहिद 8,000/–रुपये, महावीर मावी 2,00,000/–रुपये, माया 10,000/– रुपये, रोशनी 20,000/– रुपये, इमरान 50,000/– रुपये, मेश 1,00,000/–रुपये, मनोज 2,00,000/–रुपये, पप्पू 2,00,000/–रुपये, अनिल 50,000/– रुपये, सुनील 50,000/–रुपये, आदेश 24,000/–रुपये, सचिन 20,000/–रुपये, अरमान 10,000/–रुपये, राजेश 10,000/–रुपये, मोनू 1,00,000/–रुपये, गौरव 8,000/–रुपये कुल अंकन–35,10,000/– रुपये, मनीष कुमार 8,00,000/– रुपये, सुनील कुमार 1,50,000/–रुपये, परवेश 1,50,000/–रुपये, असलम 50,000/–रुपये, नाजिर हुसैन 50,000/–रुपये, यतिन मावी 50,000/–रुपये, अनामिका सक्सैना 50,000/–रुपये, फरमान 1,00,000/–रुपये, गौतम 50,000/–रुपये, फेज आलम 50,000/–रुपये कुल अंकन–15,00,000/–रुपये। अतः उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्यवाही करने की याचना की।

4– आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क देते हुए कहा कि आवेदक/अभियुक्त भारत के कानून को मानने वाला नागरिक है तथा वर्तमान मामले में पुलिस द्वारा उसे झूठा फंसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त एक निर्दोष व्यक्ति है और उसने कोई अपराध नहीं किया है जैसा कि अभियुक्त के विरूद्ध आरोप लगाया गया है। अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप झूठे निराधार मनगढ़ंत तथा दुर्भावना पूर्ण मंशा से लगाये गये है। आवेदक/अभियुक्त का पूर्व आचरण स्वच्छ है तथा उसके विरूद्ध कोई मामला लम्बित नहीं है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय सुश्री

निहारिका पाण्डेय जिला गाजियाबाद के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, किन्तु उक्त जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 26.05.2026 को निरस्त कर दिया गया। दो अन्य समान एफ.आई.आर सं० 0033/2024 तथा एफ.आई.आर सं० 0097/2025 धारा 406, 420, 506, आई.पी.सी. व 66 डी आई टी एक्ट में मा० इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त को जमानत प्रदान की जा चुकी है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 10.012.2025 से जिला कारागार में बन्द है। आवेदक/अभियुक्त कतई निर्दोष है तथा आवेदक/अभियुक्त को जिला कारागार में रखने से कोई उद्देश्य ही नहीं बनता है। आवेदक/अभियुक्त जमानत होने के उपरान्त विचारण में सहयोग करेगा। आवेदक/अभियुक्त न्यायालय का क्षेत्राधिकार छोड़कर भागने एवं गवाहान, सबूत नष्ट करने का कोई अन्देशा नहीं है। वह न्यायालय की संतुष्टि हेतु अपनी उचित जमानत देने को तैयार है।

5– विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कहा गया है कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की।

6– न्यायालय ने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को विनम्रतापूर्वक सुना एवं उपलब्ध प्रपत्रों का तत्समय सम्यक अवलोकन किया गया।

7– पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्त के साथ मिलकर वादी मुकदमा को एक क्रिप्टो कम्पनी खोले जाने तथा अभियुक्त द्वारा स्वयं को उक्त कम्पनी का डायरेक्टर बताते हुए बीस महीने में पैसे डबल करके दिये जाने का झांसा देते हुए वादी मुकदमा तथा उसके सहपाठी की टीम से अंकन 1,42,10,000/– रुपये हड़पे जाने का आरोप है। केस डायरी के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्त के साथ मिलकर वादी मुकदमा से क्रीप्टो कम्पनी के माध्यम से धोखाधड़ी करके बसूली की गयी है। अभियुक्त द्वारा प्रार्थना पत्र में दिनांक 11.12.2025 से जिला कारागार में निरुद्ध होना बताया गया है, जबकि अभियोजन की ओर से दिनांक 21.05.2026 से अभियुक्त को जिला कारागार में निरुद्ध होना बताया गया है। अभियुक्त पूर्व में अन्य किसी मुकदमे में जिला कारागार में निरुद्ध था। अभियोजन पक्ष द्वारा आवेदक/अभियुक्ता का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया, जिसके अवलोकन से विदित है कि आवेदक/अभियुक्त पर इसी प्रकृति के दो अन्य मुकदमें मु०अ०सं० 33/2024 व 97/2025 अन्तर्गत थाना साइबर क्राइम जनपद आगरा विचाराधीन हैं। केस डायरी में संलग्न प्रपत्रों के अवलोकन से अभियुक्त द्वारा अपराध कारित किया जाना प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है। अतः आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **अजय कुमार उर्फ टीपू** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक 23.06.2026

(कु० रश्मि रानी)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–10,

गाजियाबाद।